कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail :nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 32 /FP/UK/ROAD/149024/2021 देहरादूनःदिनांकः 2/7/22 जून, 2022

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, पौड़ी।

विषयः– जनपद–रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत तूना–बौंठा मोटर मार्ग से बर्सू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.2275 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भः–आपकी पत्र संख्या–2828/12–1 दिनांक 07–06–2022.

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रकरण की हार्ड प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। हार्ड प्रतियों के गहन अवलोकन करने के पश्चात् निम्न प्रकार प्रस्तावों में अपूर्णता दृष्टिगत हो रही है, जिसका निराकरण किया जाना तत्काल आवश्यक है। प्रस्ताव में इंगित कमियां निम्न प्रकार है :–

1. प्रस्ताव में ऑनलाईन पार्ट–I, A(iii) में प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित नहीं किया गया है। प्रस्ताव का संक्षिप्त विवरण अंकित करें।
2. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
3. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।
4. प्रस्ताव में एन0पी0वी0 आंकलन नई दरों के अनुसार आंकलित कर संलग्न करें।
5. प्रस्ताव के प्रपत्र–12 में परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई के प्रमाण–पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं किये गये हैं।
6. परियोजना में वन अधिकार, अधिनियम, के अन्तर्गत ग्राम वासियों का अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं ग्राम सभा बैठक की उपस्थिति का प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है। कृपया उक्त प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में संलग्न करें।
7. प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले पेड़ों की गणना 7 मीटर एवं 9 मीटर ट्टे में अलग–अलग करते हुये कुल प्रभावित पेड़ों की व्यासवार सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
8. प्रस्ताव में वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न करें।
9. प्रस्ताव में ऑनलाईन भरे गये पैरा–E में परियोजना निर्माण से 350 पद सृजित होना अंकित किया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि क्या परियोजना निर्माण से वास्तविक रूप से 350 पदों का सृजन हो रहा है अथवा नहीं, उक्त सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना प्रेषित करने का कष्ट करें।
10. प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों के पातन के प्रमाण–पत्र में प्रभावित वृक्षों की संख्या–67 अंकित की गयी है, जबकि प्रस्ताव में ऑनलाईन भरे गये पार्ट–II के पैरा–4(ii) में प्रभावित वृक्षों की संख्या–44 अपलोड की गयी है। कृपया वास्तविक रूप से प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूचना प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।

अतः उपरोक्त विवेचना के अनुसार प्रस्ताव में जो कमियाँ पाई गयी हैं अथवा जो अन्य बिन्दुओं की सूचनायें उपलब्ध कराई जानी अपेक्षित हैं, उन कमियों/सूचनाओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी एवं प्रभागीय वनाधिकारी को इस कार्यालय से प्रस्ताव की सभी प्रतियों को वापस प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें, तथा समस्त इंगित कमियों/सूचनाओं का निराकरण कराते हुये प्रस्ताव सभी तीन मूल प्रतियों में पुनः इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून

संख्या 32 /FP/UK/ROAD/149024/2021 तद्दिनांकित।

1. **प्रतिलिपि :–**प्रभागीय वनाधिकारी, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. **प्रतिलिपि :–**अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रूद्रप्रयाग को उपरोक्त विषयक पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कमियों का पूर्णतः निराकरण कर सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(डा0 कपिल जोशी)
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून